सरस्वती विद्या मन्दिर जीजाबाई महिला छात्रावास

आर्यनगर उत्तरी, गोरखपुर

संचालित - सरस्वती विद्या मन्दिर महिला पी.जी. कालेज

आर्यनगर (उत्तरी), गोरखपुर • दूरभाष : 0551-2108879, 2201036

हमारे प्रेरणा स्रोत

स्व. नागेन्द्र सिंह जी (दाढ़ी बाबा)

"सरस्वती वन्दना"

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता।
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना।।
या ब्रह्माच्युत शंकरप्रभृतिभिर्देवैः सदावन्दिता।
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा।।
शुक्लां ब्रह्मविचार सार परमामाद्यांजगद्व्यापिनीम्।
वीणा-पुस्तक धारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम्।।
हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम्।
वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्।।

"गायत्री मन्त्र"

ओऽम भूर्भवः स्वः। तत्सवितुर्वरिण्यम्।
भर्गोदेवस्य! धी महि, धियो! यो नः प्रचोदयात्।।

भावार्थः हे परम पिता परमेश्वर, आप सबके रक्षक, सबके दुःखो को हरने वाले, सब सुखों के आगार और संसार के पालन करने वाले हैं। हम आपके पाप नाशक, तेजस्व रुप का ध्यान करते हैं। आप हमारी बुद्धि को प्रकाशित कर सतकर्मों की ओर प्रेरित करें। आपसे हमारी बुद्धि कदापि विमुख न होवे यही प्रार्थना है।

सरस्वती विद्या मन्दिर जीजाबाई महिला छात्रावास
आर्यनगर (उत्तरी) गोरखपुर

एक परिचय

शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र की संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन एवं हस्तान्तरण होता है। बालक एवं बालिका शिक्षा के माध्यम से ही अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं तथा राष्ट्रीय संस्कृति को ग्रहण करते हैं।

शिक्षा हमारे अन्तर्निहित अज्ञान रुपी अंधकार को दूर कर ज्ञानरुपी प्रकाश प्रज्जवलित करती है। यह व्यक्ति को सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाने का एक सशक्त माध्यम है। यह हमारी अनुभूति एवं संवेदनशीलता को प्रबल करती है तथा वर्तमान एवं भविष्य के निर्माण का अनुपम स्रोत है। आज का मानव अपने मानवीय मूल्यों के प्रति विमुख हो चुका है। परम्परागत आदर्श समाप्त होते प्रतीत हो रहे हैं। हमारे आदर्श एवं विश्वास समाज में विलुप्त होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उचित शिक्षा ही हमारे मूल्यों को विकसित करने में सार्थक कदम उठा सकती है। शिक्षा हमारे वांछित शक्ति का विकास करती है। इसके आधार पर ही अनुसंधान और विकास को बल मिलता है। यह हमारी संवेदनशीलता और दृष्टि को प्रखर करती है। इससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है तथा समझ एवं चिन्तन में स्वतंत्रता आती है। एक प्रकार से शिक्षा राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता एवं मनुष्य के सर्वांगीण विकास की आधारशिला है।

अंधकार से प्रकाश की इस यात्रा पर सिर्फ बालकों का ही अधिकार नहीं हो सकता है। बलिकाओं को इस मार्ग पर चलने का प्रथम अधिकार होना चाहिए। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि अपाला, गार्गी, सती सावित्री आदि जैसी आदर्श महिलाओं ने भारतीय समाज के समक्ष एक ऐसा अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता।

किन्तु सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि स्त्री शिक्षा तथा सम्मान के प्रति इस हद तक जागृत रहे भारतीय समाज में, परकीय शासन के समय विभिन्न कारणों से स्त्रियों को शिक्षा देना अनावश्यक मान लिया गया था। फलस्वरुप वे अनेक प्रकार के अंधविश्वास, कुसंस्कारों तथा

सामाजिक रुढ़ियों से घिर गयीं। आज भी हमें एक लम्बी दूरी तय करना है एवं स्त्रियों को इस शिक्षा यज्ञ में सहयात्री बनाना है।

अत: अपने उक्त उद्देश्यों को लेकर अंधकार के विरुद्ध गोरखपुर नगर में एक दीप के रुप में 13 जुलाई 1964 को स्थापित यह विद्यालय आज विकास के विभिन्न सोपानों प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, इंटर कालेज को पार करता हुआ स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय स्तर का होकर एक वृहद शिक्षण संस्थान के रुप में हम लोगों के बीच अवस्थित है।

वास्तव में विद्यालय की स्थापना के समय ही इस विद्या मन्दिर शिक्षण संस्थान ने स्त्री शिक्षा के जिस विशाल वट वृक्ष की कल्पना की थी वह महिला महाविद्यालय की स्थापना के रुप में साकार हो गयी। यह महाविद्यालय अल्प समय में ही उत्तम अध्ययन-अध्यापन, आदर्श अनुशासन, अत्यन्त शान्त वातावरण एवं उत्तम शैक्षिक क्रिया-कलापों के कारण पूर्वांचल में एक प्रतिष्ठित स्थान बना चुका है। विज्ञान संकाय के अन्तर्गत जीव विज्ञान वर्ग में स्नातक स्तर पर 1998-99 से बहनों को शिक्षा दी जा रही है। जिसका विगत वर्षों में परीक्षाफल उत्तम रहा है। विकास के क्रम में शैक्षिक सत्र 2004-05 से बी०काम०, सत्र 2007-08 से विज्ञान संकाय के अन्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर प्राणि विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान एवं 2009-10 से बी०एस-सी० होम साइंस में शिक्षा प्रदान की जा रही है। सत्र 2010-11 से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त बी०एड० की कक्षाएँ सुचारु रुप से चल रही हैं। भविष्य में इस महाविद्यालय में अन्य रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की शिक्षा की योजना है। वर्तमान में सुदूर क्षेत्र से अध्ययन करने के लिए आने वाली छात्राओं को महानगर में रहने में हो रही असुविधाओं को देखते हुए संस्थान ने महिला छात्रावास प्रारम्भ किया है जिसमें कक्षा नवम् से ऊपर की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्राओं हेतु परिसर में ही आवास की व्यवस्था है।

अत: इस महाशैक्षणिक परिवेश के निर्माण हेतु पूर्व की ही भाँति आपका स्नेह, सद्भाव, सहयोग, मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। इस भावना से हम आपके सहयोग एवं सुझाव सादर आमंत्रित करते हैं।

सरस्वती विद्या मन्दिर जीजाबाई महिला छात्रावास

छात्रावास नियमावली

1. सरस्वती विद्या मन्दिर, आर्य नगर, गोरखपुर में अध्ययनरत् छात्राएँ ही प्रवेश हेतु योग्य हैं। आवेदन पत्र छात्रावास कार्यालय से नकद रू 250.00 भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।
2. छात्रावास में प्रवेश हेतु इच्छुक छात्राओं को निर्धारित आवेदन पत्र छात्रावास कार्यालय से 01 अप्रैल से प्राप्त किया जा सकता है। पूर्ण रुप से भरे गए आवेदन पत्र कार्यालय में नवम् से द्वादश तक की छात्रायें 15 अप्रैल तक एवं महाविद्यालय की छात्रायें 15 जुलाई तक अवश्य जमा कर दें। अन्यथा उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. सभी रिक्तयों को पूर्ण रुप से स्थायी व स्थानीय पता, दूरभाष नं. एवं मोबाइल नं. अवश्य लिखें। निर्धारित स्थान पर पिता एवं स्थानीय अभिभावक के हस्ताक्षर अवश्य करायें।
4. आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर माता/पिता के अतिरिक्त मिलने वाले अभिभावक का फोटो लगाना आवश्यक है। फोटो लगे व्यक्ति को ही छात्रा से मिलने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
5. सीटों का आवंटन साक्षात्कार एवं मेरिट के आधार पर किया जाएगा। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी के अभिभावक को भी आना होगा, साक्षात्कार के समय उपस्थित न रहने पर संबन्धित छात्रा के प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. जो छात्राएँ परीक्षा में असफल हो गई हैं, उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही जिनके माता/पिता/अभिभावक का आवास गोरखपुर नगर निगम सीमा के अन्तर्गत आता है, उन्हें भी छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रवेश संबन्धित सभी अधिकार महाविद्यालय के पास सुरक्षित है।
7. वार्षिक परीक्षा की समाप्ति के पश्चात् तीन दिन के अन्दर छात्रावास खाली कर देना होगा।
8. कक्ष में तीन/चार छात्राओं के लिए आवासीय व्यवस्था है।
9. प्रवेश प्राप्ति के बाद यदि कोई छात्रा सत्र की समाप्ति के पहले ही छात्रावास छोड़ना चाहती है तो उसे पूरे सत्र का शुल्क देना होगा।
10. विशेष परिस्थितियों में छात्राओं से छात्रावास खाली कराने का सर्वाधिकार महाविद्यालय के पास सुरक्षित है।
11. छात्रावास परिसर के बाहर किसी भी घटना के लिए छात्रावास प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।

12. प्रवेश के समय कमरे में उपलब्ध कराए गए फर्नीचर अथवा फिटिंग के नुकसान होने पर उसकी पूर्ण जिम्मेदारी छात्रावासी की होगी तथा किसी भी प्रकार का नुकसान होने पर मरम्मत का खर्च उसे वहन करना होगा।
13. छात्रावास में बिजली, पानी अथवा किसी अन्य फिटिंग के नुकसान होने पर यदि किसी एक छात्रा की जिम्मेदारी उस नुकसान के प्रति स्थापित नहीं हो पाती है तो उस नुकसान की भरपाई सामूहिक रुप से सभी छात्रावासियों से की जाएगी।
14. कक्षों में पंखा एवं बल्ब/ट्यूबलाईट को छोड़कर किसी अन्य बिजली के उपकरण जैसे हीटर, प्रेस आदि का प्रयोग सर्वथा वर्जित है। यदि कोई छात्रावासी इसका प्रयोग करेगी तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उसे छात्रावास से निष्कासित भी किया जा सकता है। कक्ष में गैस सिलिण्डर का प्रयोग सख्त मना है।
15. यदि कोई छात्रावासी एक या अधिक रात्रि के लिए छात्रावास से बाहर जाना चाहती है तो उसे अपने अभिभावक की स्वीकृति एवं अधीक्षक से लिखित अनुमति लेनी होगी। ऐसा न करने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें छात्रावास से निष्कासन भी सम्भव है।
16. प्रतिदिन सायं 6:30 बजे छात्राओं की उपस्थिति ली जाएगी। छात्रावास का मुख्य गेट सायं 6:00 बजे बन्द हो जाएगा।
17. छात्रावास में छात्रावासी से मिलने माता/पिता या स्थानीय अभिभावक (जिनके नाम छात्राओं को प्रवेश के समय प्रवेश फार्म पर अंकित कराना होगा।) ही आ सकते हैं।
18. शीतकाल में सायं 5 बजे तथा ग्रीष्मकाल में 6 बजे के बाद छात्रा को बाहर जाने या रहने की अनुमति नहीं होगी। विशेष परिस्थितियों में लिखित रुप से छात्रावास अधीक्षक/अभिरक्षिका से अनुमति लेना आवश्यक है।
19. छात्राओं को चाहिए कि बाहर जाते समय सुरक्षा की दृष्टि से अपने कक्ष को बन्द रखें। किसी भी मूल्यवान वस्तु को अपने जोखिम पर रखें। यदि कोई वस्तु खो जाती है तो उसकी सूचना अभिरक्षिका को अवश्य दे दें। जो मामले की जाँच करेगी परन्तु किसी भी दशा में ऐसे नुकसान की जिम्मेदारी छात्रावास प्रशासन की नहीं होगी।
20. सभी छात्रावासियों को छात्रावास के नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
21. सभी छात्रावासियों से अपेक्षा की जाती है कि वे छात्रावास को साफ सुथरा रखने में अपना सहयोग करेंगी।
22. इस नियमावली में संशोधन/परिवर्तन का पूर्ण अधिकार महाविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित है।

सामान्य नियम व निर्देश

- किसी भी छात्रावासी को विद्यालय छोड़ने की स्थिति में ही छात्रावास छोड़ने की अनुमति दी जायेगी।
- माता-पिता/अभिभावकों को मिलने के लिए माह के अन्तिम रविवार को प्रातः 09:00 से सायं 04:00 बजे तक समय निर्धारित है। अभिभावकों द्वारा प्रवेश फार्म में जिन दो व्यक्तियों के नाम व छायाचित्र दिये गये हैं, केवल उन्हीं को ही मिलने की अनुमति दी जायेगी। छात्राओं को मिलने के सम्बन्ध में इन दोनों नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- सत्रीय परीक्षाओं का परिणाम प्राप्त होने पर छात्रावास अधीक्षक/सदन प्रभारी से सम्पर्क अवश्य करें।
- हम छात्राओं पर पूरी दृष्टि रखते हैं एवं साथ ही साथ उनकी सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध करते हैं, परन्तु फिर भी हमारे प्रयत्नों के बाद भी यदि कोई छात्रा छात्रावास से भाग जाती है (जिसकी सूचना हम अभिभावक को तुरन्त देंगे तथा खोजने का प्रयास करेंगे।) तो इसके लिए विद्यालय/छात्रावास का कोई भी अधिकारी, कर्मचारी आदि उत्तरदायी नहीं होंगे और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति दी जायेगी।
- किसी भी स्थिति में जमा किया गया छात्रावास शुल्क वापस नहीं होगा। किसी भी कारण से विलम्ब से प्रवेश लेते समय सम्पूर्ण शुल्क जमा करना होगा।
- सभी प्रकार की धनराशियाँ छात्रावास कार्यालय में ही जमा होंगी।
- छात्रावास में किसी आकस्मिक दुघर्टना/ आघात का उत्तरदायित्व छात्रावास प्रशासन का नहीं होगा।
- सत्र के मध्य में छात्रावास छोड़ने पर पूरे सत्र का छात्रावास शुल्क देय होगा ।
- छात्राओं से मिलने का समय मास के अंतिम रविवार को प्रातः 9.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक निर्धारित किया गया है। मिलने का समय 2 घण्टे से अधिक न हो ऐसी अपेक्षा है। मिलने हेतु अतिथि कक्ष में बैठना चाहिए। छात्रावास मे जाने की अनुमति नहीं है। छात्रावास में अभिभावकों को ठहरने की व्यवस्था नहीं है। छात्रावास में आने के बाद अभिभावकों को पहले कार्यालय अथवा छात्रावास अधीक्षिका से सम्पर्क करना चाहिए और बाद में अनुमति प्राप्त कर छात्रा से मिलना चाहिए।
- स्थानीय अभिभावक भी मास के अंतिम रविवार के दिन निर्धारित समय में मिलने आ सकते हैं। किन्तु उनके साथ छात्रा को ले जाने की अनुमति नहीं है। अन्य छात्राओं से मिलने

हेतु पहले अनुमति लेना होगा। अन्तिम रविवार को मिलना अपेक्षित है।

- प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा छात्रावास में उपलब्ध है। आवश्यकता होने पर छात्रा को चिकित्सालय ले जाने की भी पूर्ण व्यवस्था है। छात्रा के बीमार हो जाने की खबर पाकर आप चिंतित न हो। छात्रावास द्वारा उसकी पर्याप्त देखभाल की जाती है। प्राथमिक उपचार का व्यय छात्रावास की ओर से एवं अतिरिक्त व्यय अभिभावक को देना होगा।
- छात्रावास आने पर छात्रा की प्रगति के सम्बन्ध में छात्रावास अधीक्षिका से अवश्य सम्पर्क करें। कुछ भी निर्णय लेने से पूर्व छात्रावास अधीक्षिक से वस्तुस्थिति की जानकारी अवश्य लें।
- छात्रा को कोई कीमती वस्तुएं जैसे-सोने की चैन, लाकेट, अंगूठी, ट्रांजिस्टर, मोबाइल, कैमरा आदि न दे। मोबाइल एवं इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का प्रयोग वर्जित है।
- छात्रावास में खेल सुविधाएं हैं। अतः छात्रा को अलग से कोई खेल सामग्री न दें । इसी प्रकार अनुपयोगी पत्र-पत्रिकाएं, अनावश्यक सामग्री एवं नकद राशि देकर न जाए। राशि देना हो तो उसके संचयिका के खाते में जमा करें।
- छात्रा के सर्वांगीण विकास एवं छात्रावास की प्रगति हमें समय-समय पर आपके सुझाव सदैव अपेक्षित है।
- धार्मिक पर्व एवं त्यौहारों के अवसर पर अवकाश देना संभव है, परिवार में अति निकट सम्बन्धी के विवाह अवसर पर यात्रा दिवस के अतिरिक्त दो दिन का अवकाश दिया जा सकता है अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त विवाह की पत्रिका होना आवश्यक है। अवकाश के लिए छात्रा को घर ले जाना और पुनः समय पर छात्रावास में पहुंचाना अभिभावकों का ही उत्तरदायित्व है।
- छात्रावास द्वारा प्रेषित पत्रकों में अभिभावक के लिए महत्वपूर्ण सूचनायें भी होती है । अभिभावकों से यह अपेक्षा है कि वे सभी पत्रकों को गम्भीरता से पढ़ें और उसका पालन करें ।
- सभी विवादित विषयों की सुनवाई गोरखपुर न्यायालय के अन्तर्गत होगी।

भोजन एवं जलपान

1. छात्रावास में शुद्ध-सात्विक एवं शाकाहारी भोजन दिया जाता है। सप्ताह में एक बार छात्राओं की रुचि के अनुसार शाकाहारी विशेष भोजन दिया जाता है।
2. छात्रावास में भोजनालय ठेकेदार के माध्यम से चलाया जायेगा जिसमें छात्राओं के भोजन व जलपान की व्यवस्था है। छात्रावासियों को बाहर से भोजन मंगाने अथवा करने की अनुमति नहीं होगी।
3. भोजनालय में प्रत्येक माह में कम से कम 40 मीटिंग भोजन करना अनिवार्य होगा। भोजन न करने की स्थिति में पूर्व सूचना आवश्यक है।
4. भोजन करने के लिए दिन में प्रात: 8.45 से 9.30 बजे एवं रात्रि में 8.45 से 9.30 बजे का समय निर्धारित है। भोजन करने के लिए छात्राओं को भोजनालय में ही आना होगा। विशेष परिस्थिति में अपने टिफिन कैरियर में अपना भोजन रखवा सकती है।
5. छात्रावास में मांस, मछली, अण्डे का सेवन सर्वथा वर्जित है।
6. छुआ-छूत का व्यवहार सर्वथा निषिद्ध है। यदि कोई छात्रा इस कृत्य में सम्मिलित पायी जाएगी तो उसे तत्काल छात्रावास खाली करना होगा।

चिकित्सा

छात्रावास में छात्राओं को प्राथमिक चिकित्सा देने की व्यवस्था है साथ ही विशेष अस्वस्थता एवं आकस्मिक अस्वस्थता के समय छात्रा को योग्य चिकित्सकों से दिखाया जाता है। विशेष अस्वस्थता के समय अभिभावक को छात्रा के स्वास्थ्य के विषय में सूचित किया जाता है। प्राथमिक उपचार का व्यय छात्रावास की ओर से एवं अतिरिक्त व्यय अभिभावक को देना होगा। किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना होने पर छात्रावास प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।

शुल्क विवरण

प्रवेश शुल्क	:	1,000.00
प्रवेश के समय (प्रथम किस्त)	:	16,000.00
अक्टूबर माह में (द्वितीय किस्त)	:	16,000.00
दिसम्बर माह में (तृतीय किस्त)	:	15,000.00
कुल शुल्क		**48,000.00**

उपरोक्त शुल्क में आवास, विद्युत, रखरखाव, भोजन-जलपान की व्यवस्था सम्मिलित है। द्वितीय किस्त 15 अक्टूबर एवं तृतीय किस्त 15 दिसम्बर तक जमा करना अनिवार्य है अन्यथा रू 10.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा ।

निम्नलिखित व्यवस्थाओं एवं नियमों के पालन के प्रति हम वचनबद्ध हैं :-

1. रविवार, विशिष्ट पर्वों के अवकाश एवं जन्मदिन को निर्धारित अवधि तक घर से आने वाले फोन पर वार्ता सम्भव होगी, वार्ता के उपरान्त पंजी पर रिकार्ड अंकित करना होगा। विशेष परिस्थिति में ही छात्रावास से बाहर फोन से वार्ता की अनुमति दी जायेगी।
2. माह के अन्तिम रविवार को अनुमति प्राप्त कर तथा आगमन पंजी पर हस्ताक्षर कर (जिनका फोटो छात्रावास में होगा) अपने पाल्य से मिलेंगे। अन्य दिनों में अनुमति नहीं मिलेगी।
3. स्थानाभाव के कारण अभिभावकों के रुकने की व्यवस्था कर पाना सम्भव नहीं है।
4. छात्रावास द्वारा घोषित अवकाशों के नियत समय पर छात्रा को ले जाने और पहुँचाने का दायित्व अभिभावक का ही होगा। पिताजी द्वारा अधिकार प्रस्तुत करने पर किसी अन्य के साथ जाने की अनुमति दी जायेगी।
5. अभिभावक के द्वारा दूरभाष पर किसी भी प्रकार के आग्रह से छात्रा को कहीं भी नहीं भेजा जायेगा।
6. छात्रा अपने सम्पूर्ण सामानों की सूची दो प्रतियों में बनाकर दिखाने के बाद एक प्रति अपने पास एवं दूसरी छात्रावास-प्रभारी के पास रखेगी। समय-समय पर संशोधन सूची में आते रहना चाहिए।
7. नगद धन, कीमती वस्तुएँ, अवांछित वस्तुएँ प्राप्त होने पर छात्रा को तत्काल छात्रावास से निष्कासित कर दिया जायेगा।

8. छात्रावास सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने, बिना अनुमति परिसर छोड़ने, दिनचर्या का पालन न करने व कार्यक्रमों में भाग न लेने, छात्राओं, कर्मचारियों एवं शिक्षकों के प्रति व्यवहार ठीक न रखने, स्वाध्याय के समय शोर करने व टहलने, स्वच्छता न रखने, गृहकार्य पूरा न करने आदि कारणों से भी छात्रावास सुविधा से वंचित किया जायेगा।
9. भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक कारणों से अनुत्तीर्ण छात्राओं को पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
10. शुल्क समय से जमा करना होगा।
11. छात्रावास में छात्रा को पिताजी, माताजी तथा मिलने वाले अभिभावक का एक-एक फोटो छात्रावास कार्यालय में जमा करना होगा।
12. उपर्युक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त समय-समय पर विद्यालय व छात्रावास प्रशासन के निर्णयों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

छात्रावास दिनचर्या

जागरण प्रातः	:	प्रातः 5.00 बजे
दैनिक दिनचर्या/योग व्यायाम	:	प्रातः 5.00 से 6.00 बजे तक
चाय	:	प्रातः 6.00 से 6.30 बजे तक
स्वाध्याय एवं विद्यालय हेतु तैयारी	:	प्रातः 6.30 से 8.45 बजे तक
भोजन	:	प्रातः 8.45 से 9.30 बजे तक
विद्यालय प्रस्थान	:	विद्यालय समयानुसर
विद्यालय से आगमन	:	अपराह्न 3.30 बजे तक
जलपान	:	सायं 4.00 से 4.30 बजे तक
खेलकूद/मनोरंजन	:	सायं 4.30 से 5.15 बजे तक
स्वाध्याय	:	सायं 5.30 से 8.30 बजे तक
रात्रि भोजन	:	रात्रि 8.45 से 9.30 बजे तक
स्वाध्याय	:	रात्रि 9.30 से 10.30 बजे तक
रात्रि शयन	:	रात्रि 10.30

आलोक : छात्रावास से प्रातः 6.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक पूर्व सूचना पर आवागमन की अनुमति रहेगी। प्रतिदिन सायं 6.30 बजे छात्राओं की उपस्थिति ली जायेगी।

छात्राओं हेतु निर्देश

1. छात्रावास के नियमों का दृढ़ता से पालन करना तथा अनुशासन बनाये रखना।
2. कक्ष अथवा कक्ष के बाहर शांति भंग न हो इसका ध्यान रखना।
3. छात्रावास की दिनचर्या का पालन करना।
4. छात्रावास परिसर से बाहर छात्रावास अधीक्षिका/प्राचार्या की अनुमति के बिना नहीं जाना।
5. अपने कक्ष के अन्दर-बाहर, बिस्तर तथा तख्त की सफाई पर विशेष ध्यान देना तथा इसे साफ-सुथरा व सुसज्जित रखना।
6. अपनी सभी वस्तुओं को निर्धारित स्थान पर उचित ढंग से रखना।
7. छात्रावास के अन्दर तथा बाहर किसी छात्रा या अन्य व्यक्तियों से अशिष्ट व्यवहार नहीं करना।
8. छात्रावास तथा विद्यालय की वस्तुओं की सुरक्षा करना भी दायित्व के अन्तर्गत समझें।
9. वार्तालाप के क्रम में भी अशिष्ट व्यवहार न करना तथा शरीर स्पर्श वर्जित मानना।
10. शौचालय तथा स्नानागार में शिष्टतापूर्ण व्यवहार करना।
11. दीवारों, खिड़कियों तथा दरवाजों आदि पर किसी प्रकार का लेखन नहीं करना।
12. अध्ययन काल में अपने सहपाठिनियों के साथ वार्तालाप नहीं करना।
14. छात्रावास में कोई अवांछित पत्रिका, पुस्तक, इलेक्ट्रानिक वस्तुएँ इत्यादि नहीं लाना, क्योंकि ऐसी वस्तुओं का प्रयोग वर्जित है।
15. छात्रा सामान्यत: अपने बिस्तर तथा तख्त पर ही रहेंगी तथा पठन-पाठन करेंगी।
16. प्रात:काल जागरण संकेत होते ही उठ जाना तथा रात्रि में दीप विसर्जन के पश्चात् सो

निष्कासन

1. विद्यालय या छात्रावास का समय से शुल्क न जमा होने पर।
2. (अ) अनुशासनहीनता (ब) अनैतिक कार्य
   (स) परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने (द) दुर्व्यवहार करने पर
   (य) विद्यालय वस्तु को क्षति पहुँचाने पर

   छात्रा का निष्कासन विद्यालय से उपयुक्त में से किसी भी एक कारण के पाये जाने पर किसी भी समय किया जा सकता है।
3. सत्र के मध्य छात्रावास या विद्यालय से निष्कासन/छोड़ने की स्थिति में किसी भी प्रकार की विद्यालय/छात्रावास में जमा राशि छात्रा को वापस नहीं की जायेगी।

आलोक : विद्यालय/छात्रावास द्वारा निर्धारित समस्त नियमों का पालन अवश्य करें। अन्यथा किसी भी अनियमितता के दुष्परिणाम हेतु विद्यालय/छात्रावास उत्तरदायी नहीं होगा ।

सरस्वती विद्या मन्दिर

आर्यनगर उत्तरी, गोरखपुर के निम्नलिखित सात प्रभाग हैं-

सरस्वती विद्या मन्दिर जूनियर हाईस्कूल

आर्यनगर उत्तरी, गोरखपुर
दूरभाष : 2335124

सरस्वती विद्या मन्दिर बालिका इण्टर कालेज

आर्यनगर उत्तरी, गोरखपुर
दूरभाष : 2343492
विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग

सरस्वती विद्या मन्दिर स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध

आर्यनगर उत्तरी, गोरखपुर दूरभाष : 2201036
स्नातक
(विज्ञान बायो ग्रुप, होम साइन्स एवं वाणिज्य)
स्नातकोत्तर
(प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान)
बी.एड. पाठ्यक्रम

सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज (बालक)

आर्यनगर उत्तरी, गोरखपुर
दूरभाष : 2202359
विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग

सरस्वती विद्या मन्दिर जीजाबाई महिला छात्रावास

आर्यनगर उत्तरी, गोरखपुर
दूरभाष : 2330496

विद्या मन्दिर शिक्षण संस्थान

रहमतनगर, मानीराम, गोरखपुर
बी.एड्./डी.एल.एड्. पाठ्यक्रम
दूरभाष : 7081103531

SVM Public School

Chiutaha, Maniram, Gorakhpur
(Affiliated to CBSE Board New Delhi)
Ph.: 2108883

दूरभाष : 2335124, 2343492 फैक्स : 0551-2335124
ई-मेल : vidyamandir.gkp@gmail.com वेबसाइट : www.vidyamandir.edu.in